

बिहार सरकार  
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-...../01/2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्रियान्वयन हेतु गहन वन प्रबंधन योजना (60:40) के अन्तर्गत कुल ₹147.72 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख बहत्तर हजार ₹) की योजना की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के स्वीकृत्यादेश संख्या-23/2015-16/FPD दिनांक-31.08.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए गहन वन प्रबंधन योजना (50:50) के तहत कुल ₹147.72 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख बहत्तर हजार ₹) की स्वीकृत योजना (सम्प्रति भारत सरकार द्वारा परिवर्तित अनुपात 60:40) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शायी गयी कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गहन वन प्रबंधन योजना (60:40) के तहत कुल ₹147.72 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख बहत्तर हजार ₹) की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें से 60% ₹88.632 लाख (अठासी लाख तिरसठ हजार दो सौ ₹) केन्द्रांश एवं 40% ₹59.088 लाख (उनसठ लाख आठ हजार आठ सौ ₹) राज्यांश की राशि का व्यय होगा।

2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के स्वीकृत्यादेश संख्या 23/2015-16/FPD दिनांक-31.08.2015 के द्वारा प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि एवं उपलब्ध राज्यांश राशि के अनुसार तत्काल कुल ₹33.00 लाख का व्यय किया जायेगा, जिसमें केन्द्रांश की राशि ₹18.00 लाख एवं राज्यांश की राशि ₹15.00 लाख होगी। शेष राशि का व्यय केन्द्रांश राशि भारत सरकार द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त करने एवं राज्यांश राशि का अतिरिक्त बजट उपबंध की उपलब्धता के आलोक में किया जायेगा।

4

3. इस राशि की निकासी निम्न मुख्यशीर्षो/उपशीर्षो के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी :-

केन्द्रांश :- मुख्यशीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्यशीर्ष-04-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघुशीर्ष-101-राष्ट्रीय वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, मांग संख्या-19, उपशीर्ष-0202-राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण, विपत्र कोड-पी2406041010202 के विषयशीर्ष-02 01-मजदुरी एवं 21 01-सामग्री एवं पूर्तियाँ।

राज्यांश :- मुख्यशीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्यशीर्ष-04-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघुशीर्ष-101-राष्ट्रीय वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, मांग संख्या-19, उपशीर्ष-0302-राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण, विपत्र कोड-पी2406041010302 के विषयशीर्ष-02 01-मजदुरी एवं 21 01-सामग्री एवं पूर्तियाँ।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा, मुँगेर, बाँका, अररिया एवं जमुई होंगे तथा उनके सम्बद्ध कोषागार/उप कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी।

5. प्रस्ताव में संचिका के पृष्ठ-77/टि० पर दिनांक-30.12.2015 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति तथा प्रारूप में संचिका के पृष्ठ-78/टि० पर दिनांक-07.01.2016 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विमुक्त राशि एवं उपलब्ध बजट उपबंधित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए इस योजना के स्थल पर कार्यान्वयन/निरीक्षण/पर्यवेक्षण करने वाले पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

12

9. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरुद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण-पत्र के साथ-साथ भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

10. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा एवं अनुश्रवण की व्यवस्था कराने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना का होगा।

11. आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का स्थल पर निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


ह०/—

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट (स्कीम)- 54/2007 55/प०व० पटना-15, दिनांक-07/01/2016

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी०(मैनेजर)/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव



Date: \_\_\_\_\_

**Environment & Forest Department, Bihar**  
**Intensification of Management (Integrated Forest Protection Scheme) - Work Plan 2015-16**

S No	Item	Description of Item	Unit	Unit Cost (Rs)	Nos	Amount (in lakh Rupees)	Name of Division
<b>Component: Forest Fire Control and Management</b>							
1	Fire Watchers	Fire Watchers 38 teams of 6 watchers for 70 days	Mandays	194	15960	30.962	(Jamui-6, Banka-6, Munger-4, Rohtas-3, Kaimur-4, Gaya-6, Nawada-6, Aurangabad-3)
2	Cleaning during month of February (15' wide)	30 mandays per km	Mandays	5820	303	17.635	(Munger-136, Rohtas-15, Kaimur-101, Gaya-6, Nawada-45)
3	Publicity, Extension & General Awareness	9 Teams	LS			4.500	(Jamui, Banka, Munger, Rohtas, Kaimur, Gaya, Nawada, Aurangabad, Nalanda)
<b>Component Total</b>						<b>53.097</b>	
<b>Component: Survey &amp; Demarcation</b>							
1	Field Survey, Boundary Demarcation & Enumeration	a) Survey & Demarcation (10 mandays includes wages of Amin)	229 Km	2288	229	5.24	(Jamui-40, Banka-40, Munger-51, Rohtas-10, Kaimur-78, Araria-10)
		(b) Boundary Pillar Construction	No	2274	2904	66.04	(Jamui-200, Banka-200, Munger-706, Rohtas-100, Nawada-200, Kaimur-348, Aurangabad-150, Gaya-1000)
<b>Component Total</b>						<b>71.28</b>	
<b>Component: Strengthening of Infrastructure for Forest Protection</b>							
2	Dissemination (Prachar-Prasar)		LS	25000	9	2.250	
<b>Component Total</b>						<b>2.250</b>	
<b>Total</b>						<b>126.623</b>	
<b>Contingencies @ 5%</b>						<b>6.331</b>	
<b>Total</b>						<b>132.955</b>	
<b>Flexi fund</b>						<b>14.770</b>	
<b>Grand Total</b>						<b>147.725</b>	
Central share 60%		88.632					
State share 40%		59.088					

*(Signature)*  
Principal Chief Conservator of Forests (Dev.)  
Bihar, Patna

*(Signature)*  
उप सचिव  
पर्यावरण एवं वन विभाग  
बिहार, पटना